

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर

पीठासीन अधिकारी:—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:—01/14 (2014/00121) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—तुलछीराम गोद पुत्र परसा बलाई निवासी खाखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1—बख्तावरी उर्फ कस्तुरी पत्नि रामा बलाई निवासी खाखरमाला तहसील रायपुर

2—मांगी पुत्री परसा बलाई निवासी खाखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

3—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट.

उपस्थित

1—सुनील जैन

2—हरिश टेलर

अधिवक्ता प्रार्थी

अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक 12.12.2019

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम खाखरमाला तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में निम्न आराजियात स्थित है— आराजी संख्या 135 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 136 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 138 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 139 रकबा 0.05 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 0.31 है0 उक्त वर्णित आराजियात के साबिक आराजी संख्या 84, 85, 86, 87 रकबा 01 बिघा 16 बिस्वा थे जिसका नया नम्बर व रकबे मे से हॉल आराजी संख्या 137 रकबा 0.06 है0गे.मु. सड़क व आराजी नम्बर 140 रकबा 0.02 है0गे.मु. आबादी मे दर्ज हो चुकी है अर्थात हॉल आराजी संख्या 137 व 140 भी साबिक आराजी संख्या 86, 87 से ही बनी है। इसी तरह ग्राम नान्दुड़ा तहसील रायपुर के बैरून हल्के में भी निम्न आराजियात स्थित है:— आराजी संख्या 373 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 446 रकबा 0.36 है0, आराजी संख्या 447 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 448 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 449 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 450 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 451 रकबा 0.33 है0, कुल किता 7 कुल रकबा 1.20 है0 उक्त वर्णित आराजियात के साबिक नम्बर 312, 363, 364, 365, 366, 367 कुल किता 6 कुल रकबा 05 बिघा 12 बिस्वा था। उक्त वर्णित ग्राम खाखरमाला एवं नान्दुड़ा में स्थित हॉल रकबा क्रमशः 0.31 है0 व 1.20 है0 को आगे वाद में विवादित आराजियात से सम्बोधित किया जायेगा। विवादित आराजियात परसा बलाई जो कि प्रार्थी के गोद पिता है के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की थी परसा की मृत्यु के उपरान्त विवादित आराजियात परसा की पत्नि अर्थात प्रार्थी की गोद माता लेहरी बेवा परसा के नाम अभिलिखित की गई लेहरी ने अपने कोई पुत्र संतान जिवित नही रहने से पारिवारिक रिती रिवाज अनुसार गोद लेने एवे देने की प्रकिया का निर्वहन करते हुए प्रार्थी को विधिवत जाति रस्म रिवाज अनुसार दिनांक 31.12.79 को गोद ले लिया तथा इस सुबंध में एक रजिस्टर्ड गोद नामा भी लेहरी पत्नि परसा बलाई ने प्रार्थी के हक में वाछित स्टाम्प पर लिखा अपना अगुष्ट के साखे आदि दिला पर्जीकृत करा दिया इस प्रकार प्रार्थी लेहरी पत्नि परसा बलाई का विधिवत गोद पुत्र होकर उनकी समस्त सम्पदाओं पर बहैसियत कोपासर्नर

काबिज हो उपभोग उपयोग करता चला आ रहा है यंहा यह अकिंत करना भी सुसंगत होगा कि लेहरी एवं बलाई नुत्फे से एक पुखे मांगी विपक्षी संख्या 2 व एक मृतक रामा का जन्म हुआ तथा रामा की शादी विपक्षी संख्या 1 के साथ हुई किन्तु दुर्भाग्य से रामा का आकस्मिक निधन हो गया तथा परसा बलाई का भी निधन हो चुका था इस प्रकार लेहरी दिनांक 31.12.79 को कोई किसी प्रकार का जायन्दा लड़का जिवीत न था इतना ही नहीं रामा के भी कोई संतान न थी उसकी पत्नि विपक्षी संख्या 1 भी रामा की मृत्यु उपरान्त नाता विवाह कर लिया इस पर लेहरी पत्नि परसा बलाई ने प्रार्थी को विधवत गोद लेने देने की प्रकिया जाति रस्म रिवाज अनुसार पूर्णकरते हुए गोद ले लिया इस प्रकार प्रार्थी मृतक लेहरी परसा का गोदपुत्र होकर उनकी समस्त चल अचल सम्पदाओं पर काबिज चला आ रहा है। उक्त वर्णित आराजियात में प्रार्थीगण विपक्षीगण विरुद्ध ता फ़ैसला मूलवाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि विपक्षी संख्या 1 व 2 विवादित आराजियात को रहन बय बक्षीस कर हस्तान्तरित नहीं करे तथा न ही प्रार्थी को विवादित आराजियात से जबरन ही बेदखल करें करावें अर्थात प्रार्थी द्वारा विवादित आराजियात के तन्हा किये जा रहे निश्चन्तर शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में कोई किसी प्रकार की बेजादखलदांजी व हस्तक्षेप नहीं करें करावें। अर्थात विपक्षीगण विवादित आराजियात बाबत् राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थित वाद के निस्तारण तक बनाये रखे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 2 बावजुद सूचना के उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही की गई। विपक्षी संख्या 1 की और से अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर जवाब में अकिंत किया कि प्रार्थना पत्र के कालेम 3 वर्णित तथ्य अस्वीकार है वादग्रस्त आराजियात परसा बलाई के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य होने का तथ्य स्वीकार है किन्तु परसा प्रार्थी को गोद पिता नहीं है और परसा की पत्नि लेहरी भी गोद माता नहीं है परसा के एक पुत्र रामा था और पुत्री मांगी है और प्रार्थी के द्वारा जो अपना हिस्सा दर्शाया गया है वो भी गलत होकर अस्वीकार है परसा की मृत्यु के बाद 1/3 लेहरी का 1/3 हिस्सा रामा का व 1/3 हिस्सा पुत्री मांगी का निहित हुआ और रामा की मृत्यु उपरान्त 1/3 हिस्सा बख्तावरी का निहित होता है प्रार्थी 2/3 हिस्से का कास्तकार नहीं है अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गलत, बेबुनियाद एवं आधारहीन होने से सव्यय खारीज फरमाया जावें। विपक्षी संख्या 3 से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है जो फोरमल पक्षकार है।

प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौराते हुए आगे निवेदन किया कि वादी तुलछीराम का गोद पुत्र है मूल परसा बलाई खातेदार था परसा के फोथ होने पर परसा के विधिक वारीसान में पुत्र रामा पुत्री मांगी एवं पत्नि लेहरी हुए रामा फोथ होने से रामा की पत्नि बख्तावरी वारीस हुई इस प्रकार परसा के वारीसान में लेहरी, बख्तावरी एवं मांगी विधिक वारीस हुए बख्तावरी एवं मांगी यंहा नहीं रहने से लेहरी के द्वारा अपनी सेवा चाकरी के लिये श्री प्रार्थी तुलछीराम को गोद रखा गया लेहरी के द्वारा दिनांक 31.12.79 को प्रार्थी के पक्ष में गोदनामा लिखकर उपपंजीयक कार्यालय में निष्पादित कराया लेहरी फोथ हो चुकी है और प्रार्थी गोदी पुत्र है वर्तमान में प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि प्रतिवादीगणों के नाम है प्रतिवादी भूमि स्थान्तरित कर सकते है



जिससे प्रार्थी को भारी क्षति होगी प्रार्थी के पास रजिस्टर्ड गोद नामा है जिससे प्रार्थना पत्र में सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

विपक्षी अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया कि प्रकरण में लेहरी के द्वारा प्रार्थी के पक्ष में गोदनामा निष्पादित किया है लकहरी का जितना का हिस्सा बनता है उतना ही हिस्सा प्रार्थी का बनता है किन्तु प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में हिस्सा गलत दर्ज किया है प्रार्थी क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नहीं आया है ज्यादा से ज्यादा लेहरी के हिस्से कह सीमा तक जो प्रार्थी का बनता है उसकी सीमा तक हम वैसे ही हस्तान्तरण नहीं करेंगे प्रार्थी हमारे हिस्से पर प्रतिबन्ध नहीं लगा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र खारीज फरमावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में दर्ज खातेदार लेहरी के द्वारा रजिस्टर्ड गोद नामा निष्पादित किया गया है जिसके आधार पर प्रार्थी द्वारा खातेदारी का वाद पेश किया गया है जो विचाराधीन है वाद के निर्णय तक अगर रेकार्ड और मौके की यथास्थित नहीं रखी गई तो प्रकरण में पेचिदगी बढ़ सकती है वर्तमान में प्रथम दृष्टया सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष है और अगर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजियात में रेकार्ड और मौके यथास्थिति रखने का आदेश नहीं दिया जाता तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति की पुरी पुरी संभवाना है ऐसी स्थिति में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी संख्या 1 व 2 के विरुद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मूलवाद के ताफैसला तक ग्राम खाखरमाला तहसील रायपुर में स्थित आराजी संख्या 135 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 136 रकबा 0.04 है0, आराजी संख्या 138 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 139 रकबा 0.05 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 0.31 है0 व ग्राम नान्दुड़ा में आराजी संख्या 373 रकबा 0.18 है0, आराजी संख्या 446 रकबा 0.36 है0, आराजी संख्या 447 रकबा 0.01 है0, आराजी संख्या 448 रकबा 0.23 है0, आराजी संख्या 449 रकबा 0.02 है0, आराजी संख्या 450 रकबा 0.07 है0, आराजी संख्या 451 रकबा 0.33 है0, कुल किता 7 कुल रकबा 1.20 है0 भूमि को विपक्षी संख्या 1 व 2 कीसी अन्य को रहन, बय, बक्षीस नहीं करे और न प्रार्थी विवादित आराजियात से जबरन बेदखल करे तथा राजस्व रेकार्ड और मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। उक्त पत्रावली मूल वाद के साथ संलग्न की जावे बाद दाखला पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(Signature)
12/12/19
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी
रायपुर-जिला भीलवाड़ा
रायपुर (भीलवाड़ा)

